

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

मीठासीन अधिकारी - राजकेश भीना R.A.S

प्रकरण संख्या 89/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

- 1 प्रहलाद पिता श्रीकिशन बैरवा उम्र-वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 पूरण पिता रूपा बैरवा उम्र-वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

- 4 उगमा पिता श्रीकिशन बैरवा उम्र-वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 श्रवण पिता रूपा बैरवा उम्र-वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन


उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार शर्मा  
श्री हितेश शर्मा --- अधिवक्ता प्रार्थी  
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 18.09.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 4310 एवं आराजी संख्या 4309 प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ोसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरुआत से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थी द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी की आराजी संख्या 4313 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 4313 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 18.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उप खण्ड अधिकारी  
फुलिया कलां (भोव.)

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां दिनांक 15.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विरुद्ध विपक्षीगण संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीगण द्वारा भविष्य में एक दुसरे की आराजियात में आवागमन की सहमती का एक लिखित कथन शिविर में प्रस्तुत करते हुए, अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।


प्रकरण में भूअ.निरीक्षक फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम फुलियाकलां स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 4313 रकबा 0.24 हैक्टे. में से 0.0252 हैक्टे. (56 मीटर गुणा 4.5 मीटर/252 वर्गमीटर), सुगमतम एवं निकटतम प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थी को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्या है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भूअ.निरीक्षक फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को आराजी संख्या 4313 में से 0.0252 हैक्टे. (56 मीटर गुणा 4.5 मीटर/252 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणों ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भूअ.निरीक्षक फुलियाकलां द्वारा ग्राम फुलियाकलां स्थित विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 4313 रकबा 0.24 हैक्टे. में से 0.0252 हैक्टे. (56 मीटर गुणा 4.5 मीटर/252 वर्गमीटर) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।


### आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 01 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम फुलियाकलां पटवार हल्का क्षेत्र फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 4313 रकबा 0.24 हैक्टे. में से 0.0252 हैक्टे. (56 मीटर गुणा 4.5 मीटर/252 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रिकार्ड में अमल-दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें।

  
रहायक कलक्टर एवं  
टप लाउ अधिकारी  
फुलियाकलां (भाब.)

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी (आराजी संख्या 4313 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकला में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0252 हैक्टेयर मालियत राशि की तिगुनी राशि 48,178/- रुपये (0.0252 हैक्टेयर की) राज्य कोष/अप्रार्थी संख्या 01 को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकला के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला  
रूप जिला श्रीलवाड़ा  
फुलियाकला (भा.स.)